W.R

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

1.अपीलडिक्री./टीए./1233/2005/भरतपुर

ग्राम पंचायत, शक्करपुर तहसील रूपवास जिला भरतपुर जरिए सरपंच रामवती ।

अपीलाण्ट

बनाम

1 कुमरपाल
2 गोविन्दसिंह
पुत्रण रामसिंह जाति लोधा निवासी जसवंत नगर तहसील रूपवास जिला भरतपुर ।
3 प्राथमिक पाठशाला जसवंत नगर तहसील रूपवास जरिए प्रधानाध्यापक शाला जसवंत नगर रूपवास ।
4. पंचायत समिति रूपवास जरिए विकास अधिकारी, रूपवास जिला भरतपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिए कलेक्टर, भरतपुर ।

रेस्पोडेण्ट्स

2.अपीलडिक्री./टीए./1234/2005/भरतपुर

पंचायत समिति रूपवास जरिए विकास अधिकारी, रूपवास

अपीलाण्ट्स

बनाम

1 कुमरपाल
2 गोविन्दसिंह
पुत्रण रामसिंह जाति लोधा निवासी जसवंत नगर तहसील रूपवास जिला भरतपुर ।
3 प्राथमिक पाठशाला जसवंत नगर तहसील रूपवास जरिए प्रधानाध्यापक शाला जसवंत नगर रूपवास ।

4. राजस्थान सरकार जरिए कलेक्टर, भरतपुर ।

रेस्पोडेण्ट्स

खण्ड–पीठ
श्री वी. श्रीनिवास , अध्यक्ष
श्री चिरंजीलाल दायमा, सदस्य

उपस्थितः
श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री मुकेश जैन, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स सं01 अपील सं0 1233/2005के
श्री समीर अहमद, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स सं02 अपील सं0 1233/2005के

निर्णय

दिनांक 10.7.2018

हस्तगत दोनों अपीलें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुऱ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14–12–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

चूंकि दोनों अपीलों में पक्षकार, तथ्य एवं निर्धारण योग्य कानूनी बिन्दु एक समान होने से इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है । निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक रखी जावे।

2. दोनों प्रकरणों के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि जमाबन्दी संवत् 2051 से 2054 से स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात राजकीय प्राथमिकशाला के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि है । कल्याणकारी राज्य में शिक्षण संस्थाओं की भूमि अन्य को नहीं दी जा सकती है । चालू जमाबन्दी संवत् 2059–62 में विवादित आराजीयात स्कूल के नाम है । अधीनस्थ न्यायालय ने 7 बिस्वा भूमि का आवंटन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का मानने में गलती है । विचारण न्यायालय ने स्पष्टतः अभिनिर्धारित किया था कि आवंटन की शर्तो का उल्लंघन करने के कारण आवंटन निरस्त योग्य है । प्रतिवादीगण के द्वारा आवंटित भूमि पर कभी भी काश्त नहीं की है और न ही लगान का भुगतान किया है । केवल मात्र आवंटन के आधार पर दावा डिक्री नहीं किया जा सकता है । ज्यादा से जयादा यह किया जा सकता है कि इन्हें अन्य भूमि आवंटन के बदले दे दी

जावे । जमाबन्दी संवत् 2009 से 2012 में आवंटित आराजीयात बंजड कदीम के रूप में दर्ज है । राज्य सरकार के द्वारा जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के तहत सारी भूमियां अधिग्रहित कर ली गई थी विवादित आराजीयात पर कभी–भी अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कब्जा काश्त नहीं रहा है । भूमि का आवंटन स्कूल के नाम से कर दिया है । कब्जे के बारे में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया गया है जिससे उनका दावा खारिज योग्य था । अतः अपील स्वीकार करते हुए अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे ।

उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 29–7–2002 में यह माना है कि प्रतिवादीगण के दादा को विवादित भूमि में से 7 बिस्वा भूमि का आवंटन किया जाना साबित है परन्तु आवंटन की कुछ शर्ते भी थी जिनकी पालना किया जाना आवश्यक था । शर्त सख्या 3 के अनुसार आवंटन के एक वर्ष के भीतर आवंटन की गई भूमि के 1/2 भाग पर तथा शेष 1/2 भाग पर दूसरे वर्ष काश्त किया जाना आवश्यक था । वादीगण द्वारा इन दोनों शर्तो की पालना किए जाने बाबत कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। अतः वादीगण के बाबा के नाम किया गया आवंटन स्वतः ही निरस्त हो गया। एवं राजकीय प्राथमिक पाठशाला को भूमि आवंअन किए जाने के समय विवादित भूमि अनऑक्यूपाईड भूमि ही थी । इसलिए आवंटन प्राथमिक पाठशाला के नाम सही ढंग से किया गया । वादीगण को अपना दावा स्वयं साबित करना होता है । प्रतिवादीगण की कमजोरी का लाभ वादीगण प्राप्त नहीं कर सकते हैं

उक्त दावे की अपील किए जाने पर राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 14–12–2004 में यह माना है कि मौके व रिकार्ड से भूमि पर कब्जा एवं आवंटन पूर्व में दिनांक 24–5–73 को 7 बिस्वा का आवंटन एस.डी.ओ. द्वारा अपीलाण्ट को किया जाना रिकार्ड से साबित होता है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29–7–02 को जो निर्णय दिया गया है वह बिना रिकार्ड का अवलोकन किए दिया गया है जो निरस्त

योग्य है । अतः अपील आशिक रूप से स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नंबर 199 के 7 बिस्वा रकबे तक स्वीकार की जाती है तथा शेष रकबे का किया गया आवंटन स्कूल के नाम यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 14-12-2004 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3. उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट का कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । उनक कथन है कि न्यायालय उपचखण्ड अधिकारी,रूपवास ने प्रतिवादी का दावा सही खारिज किया है । विवादित आराजीयात के खसरा नंबर 199 के 7 बिस्वा का आवंटन राजस्व अपील प्राधिकारी ने यथावत रखा है जो विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है । चूंकि आवंटी द्वारा इस रकबे का कब्जा नहीं लिया गया न ही इस पर आवंटन की शर्तो की पालना की गई है । विद्यालय को जो आवंटन किया गया है वह विधिसम्मत है जिस समय विद्यालय को भूमि का आवंटन किया गया था उस वह भूमि अनऑक्यूपाईड भूमि थी । आवंटन दिनांक 24-5-73 को सही नहीं कहा जा सकता जब कब्जा ही नहीं लिया गया एवं उस पर खेती ही नहीं की गई तो ऐसा आवंटन स्वतः ही निरस्त माना जाता है । अतः अपील स्वीकार कर आराजी खसरा नंबर 199 के 7 बिस्वा के आवंटन को स्कूल के नाम यथावत रखे जाने के आदेश दिए जावें ।

5. रेस्पोडेण्ट के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि खसरा नंबर 199 रकबा के 18 बिस्वा भूमि में से 7 बिस्वा का आवंटन दिनांक 24-5-73 को प्रतिवादीगण के दादा नत्थी को आवंटन किया गया था जिसका पट्टा भी जारी किया गया था । सर्वप्रथम नत्थी को आवंटन हुआ था एवं उसके बाद दिनांक 21-6-89 को प्राथमिक पाठशाला, जसवंत नगर के नाम आवंटन

किया गया था । विद्यालय का आवंटन बाद का है जो खारिज योग यहै । राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय सही है । अतः अपील खारिज की जावें।

6. प्रतिउततर में विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट का कथन है कि रेस्पोडेण्ट को आवंटित भूमि 7 बिस्वा का कब्जा ही नहीं दिया गया उसके नाम से गैर खातेदारी का नामान्तरकरण भी नहीं खोला गया जिससे आवंटन स्वतः ही निरस्त माना जाता है । आवंटन की शर्तो के अनुसार 50 प्रतिशत भूमि पर प्रथम वर्ष में काश्त की जानी थी शेष 50 प्रतिशत पर द्वितीय वर्ष में काश्त की जानी थी । जब लगान ही नहीं दिया तो ऐसा आवंटन स्वतः ही निरस्त माना जावे । आवंटन के समय सम्पूर्ण भूमि सिवाय चक भूमि थी और विद्यालय को जो आवंटन किया गया है वह सही है । अतः अपील खारिज की जावे ।

7. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

8. यह सही है कि खसरा नंबर 199 के 7 बिस्वा का आवंटन विद्यालय को दिनांक 24-5-73 को किया गया था । आवंटन की शर्तो के अनुसार 50 प्रतिशत भूमि पर प्रथम वर्ष में काश्त की जानी थी शेष 50 प्रतिशत पर द्वितीय वर्ष में काश्त की जानी थी । पत्रावली पर ऐसा कोई रेकार्ड उपलब्ध नही है जिससे यह साबित होता हो कि आवंटी को आवंटित भूमि का कब्जा दिया गया हो । यदि कब्जा दिया जाता है तो आवंटी के नाम से गैर खातेदारी का नामान्तरकरण दर्ज किया जाता है । आवेदन-पत्र की जो शर्ते दी गई है उससे भी यह स्पष्ट है कि उसके द्वारा आवंटित की गई भूमि पर प्रथम वर्ष में किसी प्रकार की काश्त नहीं गई एवं द्वितीय वर्ष में भी काश्त नहीं की गई । यदि वह काश्त कर लेता तथा इस पर खसरा गिरदावरी की प्रति प्रस्तुत कर अपने दावा साबित करते । प्रतिवादी के द्वारा ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि उसने आवंटित भूमि का कब्जा लेकर उस पर काश्त कर आवंटन की शर्तो की पालना की हो । जिस समय विद्यालय को भूमि का आवंटन किया गया

उसमें यह भूमि अनऑक्यूपाईड थी । रेस्पोडेण्ट को किया गया आवंटन तो रेकार्ड से साबित होता हो किन्तु कब्जा लिया जाना एवं इस पर आवंटन की शर्तो की पालना किया जाना किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं होता है । अतः भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकरी का यह निष्कर्ष कि आराजी खसरा नंबर 199 के 7 बिस्वा रकबे तक रेस्पोडेण्ट के आवंटन को यथावत रखते हुए शेष रकबे का आवंटन विद्यालय के नाम से रोके जाने के आदेश दिए गए है यह विधिसम्मत नहीं कहे जा सकते हैं उसमें हस्तक्षेप की आववश्यकता रहती है

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर ये दोनों अपीलें स्वीकार की जाती है । भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14-12-2004 निरस्त कर सहायक कलेक्टर, रूपवास का आदेश दिनांक 29-7-2002 यथावत रखा जाता है

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(**चिरंजी लाल दायमा**)
सदस्य

(**वी.श्रीनिवास**)
अध्यक्ष